

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यातायात विभाग

सं : टीएम/डी/4-3/20

ऑफ 2017-18

22 सितंबर 2017

परिपत्र

अध्यक्ष,
मुंबई अॅण्ड न्हावा शेवा शिप एजंट्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
बृहन्मुंबई कस्टम ब्रोकर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
इंडियन मर्चेंट चेंबर्स
अध्यक्ष,
बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स असोसिएशन
अध्यक्ष,
ऑल इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशन

महोदय,

विषय :- आयात जिप्सम के भण्डारण के लिए सामान्य उपनियमों
के तहत क्षेत्रों का नामांकन

देखिए, परिपत्र सं. टीएम/डी/4-3/03 ऑफ 2017-18 दिनांक 19 | 04 | 2017, दरक्रम के परिच्छेद III की धारा 3.3 (A)(II) के प्रावधानों के तहत आयात जिप्सम के भण्डारण के लिए एसटीपी ओपन यार्ड स्थित १०,००० चौ .मिटर/अधिमापन खुला क्षेत्र अधिसूचित किया गया था .

२ . व्यापार की माँग को देखते हुए सामान्य उपनियमों के तहत आयात जिप्सम के भण्डारण के लिए गोल्डन यार्ड (वडाला) के खुले क्षेत्र स्थित 10,000 चौ .मि .अधिमापन खुला क्षेत्र अधिसूचित किया है .

३ . आपसे अनुरोध है कि सुविधा पाने के लिए आपके सदस्यों के बीच इसे व्यापक प्रसिध्दी दे .

भवदीय

यातायात पबंधक